



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10,000 रु० के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवली नगर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 116/2016 धारा- 302,34 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय अपर जिला/ सत्र न्यायाधीश कोर्ट प्रथम जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त दिलीप पुत्र मलखान निषाद नि० केशरिया का डेरा थाना कोतवली नगर जनपद हमीरपुर को आजीवन कारावास व ₹10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री सुभाष
कुमार श्रीवास्तव



विवेचक-
निरी० अनूप कुमार
सिंह



पैरोकार- थाना
कोतवाली नगर
का० ब्रजभान सिंह